"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 — चैत्र 9, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 (चैत्र 9, 1938)

क्रमांक-3849/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) जो मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5-क में, -

(एक) उप-धारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "रुपये तीन लाख" आये हों के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "एक लाख पचास हजार" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) में शब्द "सोलह हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ग का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द "दस हजार रुपये प्रतिमाह" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का संशोधन.

5. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची

[धारा 2(घ) देखिये]

स. क्र.	धारा	वेतन/भत्तों का विवरण	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमास
2.	धारा 4	सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 30,000 प्रतिमास
3.	धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 5,000 प्रतिमास
4.	धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	धारा 4-ग	(एक) दैनिक भत्ता	(एक) रुपये 1,000 प्रतिदिन
		(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता	(दो) रुपये 1,000 प्रतिदिन
6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा	रुपये 2,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 20,000 प्रतिमास
9.	धारा 6-ग	भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 15,000 प्रतिमास
10.	धारा 7 (1)	सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कतिपय सुधार करने हेतु, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में संशोधन करने की आवश्यकता है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 5-क, 6-क, 6-ग एवं अनुसूची में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 26 मार्च, 2016

अजय चन्द्राकर
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 से 5 तक में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 9,65,00,000.00 (रुपये नौ करोड़ पैसठ लाख) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 6-क (1) एवं ग तथा अनुसूची का सुसंगत उद्धरण -

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 5-क (1) **वायुयान और रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन**

प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में रुपये तीन लाख किराये की सीमा तक नि:शुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा, ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे.

परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये तीन लाख से अधिक का नहीं होगा.

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा करने का हकदार होगा, परंतु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्राएं इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी.

(2) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु एक लाख पचास हजार मूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की एक लाख पचास हजार की सीमा में ही हवाई यात्रा करने के भी हकदार होंगे.

धारा 6-क (1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, सोलह हजार रुपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप से कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सौ रुपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी :

और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी.

परन्तु यह और भी कि जहां कोई सदस्य विधान सभा के विघटन के कारण अथवा त्याग पत्र के कारण पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने से निवारित रहा हो या जहां कोई सदस्य उप-निर्वाचन में या लोक सभा/राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के कारण पांच वर्ष तक कार्य नहीं कर सका हो, वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पांच वर्ष की कालावधि तक सदस्य के रूप में कार्य किया है किन्तु यह धारणा उपबंध (डीमिंग प्राविजन) अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगा.

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 37) की धारा 28 में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा का सदस्य बन गया था.

धारा 6-ग (1) **भूतपूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.**

प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के किसी दावे के लिये धारा 7(2) के समरूप हकदार होगा और उसे "दस हजार" रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भी दिया जायेगा.

अनुसूची

[धारा 2(घ) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4	सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 3,000 प्रतिमास
धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4-ग	दैनिक भत्ता	रुपये 750 प्रतिदिन
	विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने का अतिरिक्त दैनिक भत्ता.	रुपये 750 प्रतिदिन
धारा 7 (1)	सदस्यों को चिकित्सा भत्ता	रुपये 4500 प्रतिमास

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.